राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0 प्र0 के छात्र निधि लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018

भाग-एक

1 **(i) प्रस्तावना :-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे:-

क्रम सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	01-05-2010 से 26-08-2013
2.	श्री आर.पी. चोपडा	27-08-2013 से 29-02-2016
3.	श्रीमती वन्दना भडवार	01-03-2016 से 28-03-2016
4.	श्री एस०के० पाठक	28-03-2016 से 30-06-2017
5.	श्री सुनील कुमार मेहता	01-07-2017 से 31.3.18

(ii) संस्था का वर्षवार आय-व्यय विवरण निम्नानुसार था :-

वर्ष	आय	व्यय	शेष
2015-16	5077144	3469922	1607222
2016-17	5684027	2965687	2718340
2017-18	6356348	5477029	879319

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :-

क्रम सं	पैरा सं	संक्षिप्त सार	₹ (लाखों में)
1.	5(ख,ग)	सावधि जमा पर कम ब्याज क्रेडिट करने बारे	0.18
2.	8	निविदाओं का पूल करना।	पैरे अनुसार
3.	10	अनियमित रूप से पारिश्रमिक का भुगतान करना।	0.08
4.	11	उत्तर पुस्तिकाओं का दैनिक उपयोग रजिस्टर में उपयोग न	पैरे अनुसार

		दर्शाना।	
5.	12	पत्रिकाओं का वसूली दर से अधिक दर से छपवाने के कारण अधिक व्यय बारे।	1.48
6.	13	वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह इनाम के रूप में अनियमित रूप से नकद कूपन जारी करने के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करना।	0.69
7.	14	उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्राप्त करना।	5.98
8.	15	ऋण के रूप में जारी राशि की प्रतिपूर्ति न करना।	1.40
9.	16	विभिन्न निधियों से नियमित व्यय करना।	3.35
10.	20	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना।	0.62

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के कार्यालय द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर कोई विशेष कार्यवाई जो अम्ल में लाई गई ,उसके उपरान्त भी बहुत से पैरे अनिर्णीत थे। अत: परामर्श दिया जाता है कि गत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर वांछित कार्यवाई शीघ्र अम्ल में लाई जाये तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाये। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट " क "** पर दिया गया है।

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परिक्षण (अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018) जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियंत्रक) व श्री प्रीतम चन्द कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-03-2018 से 15-05-2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के

लिए माह 06/13, 6/14,06/15,06/16 व 06/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/14 व 02/15,06/15,09/16 व 12/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सुचना अथवा सुचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

महाविद्यालय के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹40000 आँका गया। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102 दिनांक 16-4-18 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 110566 दिनांक 25-04-18 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेज दिया है।

4 वितीय स्थिति:-

(क) राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय धर्मशाला के द्वारा प्रस्तुत अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के निधि लेखों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "ख"** पर वर्णित है।

(ख) विभिन्न निधियों के ऋणात्मक (-) शेष बारे:-

(i) महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2018 को पहचान पत्र निधि व जुर्माना निधि में क्रमश: ₹107428.50 व ₹399338 का ऋणात्मक (-) शेष दर्शाया गया है व जांच में यह भी पाया गया कि इन निधियों से दिनांक 31.03.18 तक क्रमश: ₹1091406 व ₹4380854 की राशियाँ निवेशित कर रखी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है, कि इन शीर्षों के अन्तर्गत निधियों का सही रख रखाव नहीं किय गया है जिसकी आन्तरिक स्तर पर जांच की जाए तथा सही स्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ii) महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि होस्टल कंसोलिडेटेड निधि का रख रखाव वर्ष 2014-15 तक विभिन्न निधियों की रोकड़ बही के साथ किया गया है जबकि यह निधि छात्र निधि के अन्तर्गत नहीं आती है जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.18 को होस्टल कंसोलिडेटेड निधि का ₹721685.50 का ऋणात्मक (-) शेष था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता जिसकी आन्तरिक स्तर पर जांच की जाए तथा व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

5 निवेश :- (क) विभिन्न छात्र निधियों से दिनांक 31-3-18 तक सावधि जमा योजना में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट "ग"** से **"च"** पर संलग्न है :-

(ख) सावधि जमा पर ₹0.13 लाख का कम ब्याज क्रेडिट करने बारे :-

निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि जे एंड के बैंक द्वारा सावधि जमा पर **₹12994** का कम ब्याज दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

दिनांक	**राशि**	**एफ़०डी० आर० न०**	**दर**	**अवधि**	**परिपक्वता पर अपेक्षित ब्याज**	**बैंक द्वारा दिया गया ब्याज**	**कम ब्याज**
08-08-13	1294092	004334480	8.75%	1वर्ष	1411094	1398100	12994

अत: उपरोक्त की वसूली सम्बन्धित बैंक से ब्याज सहित अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

(ग) बैंक द्वारा ₹0.05 लाख कम ब्याज क्रेडिट करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निवेश रजिस्टर की जाँच करने पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार एक ही बैंक में एक ही दिनांक को निवेशित राशि पर एक दर से ब्याज व एक ही दिनांक को परिपक्वता होने के फलस्वरूप बैंक द्वारा ₹5413 कम ब्याज क्रेडिट किया गया :-

सावधि सं0	निवेश की दिनांक	राशि	दर	परिपक्वता की दिनांक	परिपक्वता राशि	कम ब्याज
024000	21-05-14	106651	9%	10-11-15	119652	---
023002	21-05-14	106651	9%	10-11-15	119652	---
023996	21-05-14	106551	9%	10-11-15	118862	790
023997	21-05-14	319954	9%	10-11-15	359325	--
023003	21-05-14	319954	9%	10-11-15	358672	653
023103	21-05-14	319954	9%	10-11-15	355646	3679
023599	21-05-14	533255	9%	10-11-15	598410	---
023008	21-05-14	533255	9%	10-11-15	598410	---
023002	21-05-14	533255	9%	10-11-15	598119	291
					कुल जोड़	**₹5413**

बैंक द्वारा कम क्रेडिट किए ब्याज की राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली बैंक से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

6 निधियों की अनाधिकृत रूप से ₹1.98 लाख की अधिक वसूली करना :-

(क) महाविद्यालय की छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एस०सी०ए० निधि के रूप में छात्रों से प्रति छात्र प्रतिवर्ष 10 वसूल किए जा रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक उच्च के पत्र सं :ई०डी०एन०-एच (21)ए(3)20/2010-वी.दिनांक 03-06-2010 के अनुसार एस०सी०ए० निधि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 04/06 से 03/10)में पैरा 24 व (04/10 से 03/13) के पैरा 9(क)में इस बारे आपत्ति उठाई है परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाई अमल में न लाते हुए छात्रों से उक्त निधि की अनाधिकृत रूप से वसूली प्रतीत होती है वर्तमान अंकेक्षण अवधि

04/13 से 03/18 के दौरान भी उक्त निधि के रूप में छात्रों से ₹39712 की अनुचित वसूली की गई है। जिस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं: 116 दिनांक 03-05-16 अवगत करवाया गया जिसके उत्तर में प्रधानाचार्य के पत्र सं : ई.डी.एन.-जी.सी.डी.-ऑडिट-2018-4210 दिनांक 04-05-18 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त निधि में दिनांक 04-05-18 को जमा ₹92853 की राशि को मिश्रित निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अत: भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्रों से एस० ए० एफ० निधि की वसूली निर्धारित दर ₹2/-प्रति छात्र न करके ₹10/- प्रति छात्र की दर से की जा रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 04/10 से 03/13) के पैरा 9(ख)में इस बारे आपत्ति उठाई है परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाई अमल में न लाते हुए छात्रों से उक्त निधि की अनाधिकृत रूप से वसूली प्रतीत होती है वर्तमान अंकेक्षण अवधि 04/13 से 03/18 के दौरान भी उक्त निधि के रूप में छात्रों से ₹158536 की अधिक वसूली की गई है , जिस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं: 116 दिनांक 03-05-16 अवगत करवाया गया जिसके उत्तर में प्रधानाचार्य के पत्र सं : ई.डी.एन.-जी.सी.डी.-ऑडिट-2018-4210 दिनांक 04-05-18 द्वारा अवगत करवाया गया कि अब 2018-19 से ₹2/- प्रति छात्र की दर से उक्त निधि की वसूली की जा रही है व भविष्य में भी इसी निर्धारित दर से उक्त निधि की वसूली की जाएगी। अंकेक्षण द्वारा भी इसकी पुष्टि कर ली गई है। अत: भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 होटल चार्जिज के रूप में ₹0.04 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

महाविद्यालय द्वारा माह 09/13 में श्री सतीश ठाकुर को अग्रिम ₹50000 का भुगतान किया गया। उक्त अग्रिम राशि के समायोजन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री सतीश ठाकुर (सहायक प्रोफेसर संगीत) को हमीरपुर ठहराव हेतु ₹750/- प्रति दिन की दर से 5 दिनों के लिए कुल ₹3750 का व्यय होटल चार्जिज के रूप में किया गया जोकि प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं :फिन –सी-बी(7)-14/98 दिनांक 2-06-06 के अनुसार देय नहीं है। ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त राशि को रसीद सं 023218 दिनांक 09-05-18 द्वारा ₹3750 वसूल कर ली गई जिसकी

जमा की पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 निविदाओं को पूल करने बारे :-

वाउचर सं 03 माह 07/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० भारत एजुकेशनल स्टोर मेरठ से ₹75408 के मैप,चार्ट व नोटिस बोर्ड इत्यादि उनके बिल सं 009 दिनांक 07-04-15 के द्वारा जियोग्राफी निधि से ख़रीदा गया। इस खरीद हेतु निम्न लिखित निविदाएँ आमन्त्रित की गई :-

फर्म का नाम व स्थान	दिनांक जिस दिन फर्म ने निविदा को भेजा	स्थान व पिन कोड जहाँ से फर्म ने निविदा को भेजा	समय जब फर्म द्वारा निविदा को भेजा	निविदा भेजने का माध्यम
मै० दी ज़ीनथ एजुकेशनल सेंटर मेरठ	19-03-15	मेरठ कैंट ,25001	2.23 सांय	स्पीड पोस्ट
मै० दी भारत एजुकेशनल स्टोर मेरठ	19-03-15	यथोपरि	2.23 सांय	यथोपरि
मै०दी पायनियर एजुकेशनल एड्स नई दिल्ली	20-03-15	यथोपरि	3.23 सांय	यथोपरि
मै० दी एजुकेशनल एम्पोरियम नई दिल्ली	21-03-15	यथोपरि	3.09 सांय	यथोपरि

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त फर्मो में से दो फर्मे दिल्ली की है व दो मेरठ की है जबकि सभी फर्मो ने निविदाओं को एक ही स्थान (मेरठ) से भेजा गया है जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि निविदाओं को पूल किया गया है जिसकी जाँच क्रय कमेटी द्वारा नहीं की गई है जो की एक गंभीर मामला है। जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये। यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के विशेष ध्यान में इस आशय में लाया जाता है कि इस मामले की जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

9 प्रिंटर की खरीद के रूप में ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान व विक्री कर के रूप में₹326 का अधिक भुगतान करना :-

वाउचर सं 16 माह 07/15 की जांच करने पर पाया गया कि मै० मिक्रोकोम इन्फोटेक, दाड़ी से उनके बिल सं 751 दिनांक 10-04-15 द्वारा ₹23403/-(विक्रीकर सहित) के दो प्रिन्टर फिजिक्स निधि से ख़रीदे गए। स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि इनमे से एक प्रिन्टर फिजिक्स लैब जोकि उचित था व एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग को जारी किया गया, जोकि अनियमित था। अत: एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग के लिए प्रिन्टर फिजिक्स निधि से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा एक प्रिन्टर की राशि ₹11701 को सम्बन्धित निधि से वसूल कर फिजिक्स निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि ₹21978 (बिक्रीकर रहित)के दो प्रिन्टर ख़रीदे जिस पर 5%(बिल में दर्शाई दर) की दर से ₹1099/- बिक्रीकर का भुगतान करना अपेक्षित था जबकि ₹1425 विक्रीकर कर के रूप में भुगतान किया गया इस प्रकार ₹326 अधिक भुगतान किए गए अत: उचित स्त्रोत से ₹326 की राशि वसूल कर उक्त निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 पारिश्रमिक के रूप में ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार परीक्षा निधि से वर्ष 2014-15 की गृह परीक्षा के संचालन हेतु ₹8000 पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया:-

वाउचर सं	माह	कर्मचारी का नाम व पद	भुगतान किया पारश्रमिक
17	06/15	श्री सुरेश मोंगरा,S.L.A	3000
18	06/15	श्री प्रमोद सिंह,J.L.A	2500
19	06/15	श्री कृष्ण चन्द,J.L.A	2500
		कुल जोड़	**₹8000**

उक्त राशि को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर उक्त अनियमित भुगतान को नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर उक्त निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

11 गृह परीक्षा के दौरान उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण दैनिक उपयोग रजिस्टर में न दर्शाना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद परीक्षा निधि से की गई परन्तु इन उत्तर पुस्तिकाओं का गृह परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा किए गए उपयोग का विवरण दैनिक उपयोग रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया था जिसके आभाव में खरीदी उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग व शेष की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जिस कारण उत्तर पुस्तिकाओं के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि गम्भीर मामला है। अत: उत्तरपुस्तिकाओं का दैनिक उपयोग विवरण न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

वाउचर सं	**माह**	**फर्म का नाम**	**भुगतान की गई राशि**	**खरीदी गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या**
14	10/13	मै० सिद्ध प्रिंटिंग प्रेस रजोल	28000	20000
47	12/13	-----यथोपरि ------	52500	15000
28	04/14	----यथोपरि -------	71700	30000
07	09/15	---यथोपरि -------	100000	40000
08	09/17	----यथोपरि ------	112896	30000
		कुल जोड़	**₹365096**	**135000**

12 पत्रिकाओं को निर्धारित दर से अधिक दर पर छपवाने के कारण ₹1.48 लाख का अनियमित व्यय करना:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पत्रिकाओं का मुद्रण निर्धारित/वसूली दर से अधिक किया गया, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस प्रकार पत्रिकाओं के मुद्रण पर निम्न विवरणानुसार ₹147635 का अधिक व्यय किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस

सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि पत्रिकाओं का मुद्रण निर्धारित दर तक सीमित रखा जाए जिससे की निधि पर अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचा जा सके। पत्रिकाओं की स्टॉक प्रविष्टियों एवं आगामी वितरण की जाँच भी अंकेक्षण में नहीं करवाई गई जिसका सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

वा सं	माह	पत्रिकाओं की संख्या	प्राप्ति योग्य निर्धारित दर (प्रति पत्रिका) ₹	मुद्रण हेतु व्यय दर (प्रति पत्रिका) ₹	मुद्रण हेतु अधिक व्यय दर ₹	अधिक व्यय राशि ₹
17	07/13	3500	50	65.61	15.61	54635
05	06/14	2500	50	79.20	29.20	73000
26	08/15	2500	50	56	6	15000
17	12/16	2500	50	52	2	5000
					कुल जोड़	**₹147635**

13 वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हेतु ₹0.69 लाख का अनियमित अग्रिम जारी करना:-

वाउचर संख्या 3(ए) माह 12/17 की जाँच करने पर पाया गया कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हेतु छात्रों को इनाम के रूप में नकद कूपन वितरित करने हेतु श्री नरेश मनकोटिया (सहायक प्रोफसर) को ₹68500 की अग्रिम राशि का भुगतान खेल निधि से किया गया जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश सितम्बर 2002 खण्ड -2 के अध्याय XLII में समाविष्ट प्रावधान 42.2 के अनुसार निधि पर भी उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनियमित अग्रिम राशि को जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त उक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से ₹68500 की राशि को वसूल कर खेल निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

14 निर्माण कार्य से सम्बन्धित₹5.98 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग धर्मशाला के पास डि पोजिट वर्क स्कीम के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु ₹598432 जमा करवाई गई परन्तु निम्न निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण

पत्र को सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब प्राप्त कर के आगामी ऑडिट में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाए।

क्र० सं	कार्य का नाम	चैक सं व दिनांक	राशि
1.	P/L flouring,distempring and painting etc.in college campus	078299 दिनांक 27-02-15	598432

15 ऋण ₹1.40 लाख की प्रतिपूर्ति न करने बारे :-

वाउचर सं 29 माह 10/16 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹139500 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को चैक सं 049397 दिनांक 10-10-16 द्वारा मीटर सिक्यूरिटी के लिए ऋण के आधार पर मिश्रित निधि से किया गया। परन्तु ऑडिट के दौरान तक उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। अत: उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

16 विभिन्न निधियों से ₹3.35 लाख के अनियमित व्यय बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि हि०प्र०विश्वविद्यालय अध्यादेश सितम्बर 2002-XLII के अध्याय 42.2 के अनुसार निम्नलिखित व्यय सम्बन्धित निधि पर पर वैद्य प्रभार नहीं है। अत: सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा निम्न व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाए।

वा.सं	माह	फर्म का नाम	राशि	विवरण	निधि का नाम
58	03/14	मै० यूनिक गारमेंट गग्गल	8970	3 सूट (पेंट,कोट)	मिश्रित निधि
06	09/16	मै० सुपर ट्रेडिंग एजेंसी योल	30975	10फायरएक्स्टिंगुशर	यथोपरि
11	04/17	मै० कुनाल प्रिंटिंग प्रेस धर्मशाला	44875	पहचान पत्र	पत्रिका निधि
07	02/15	मै० नरेश कुमार ठेकेदार	51570	मैदान का समतल करना	खेल निधि
9 से 16	09/16	मै० सीटी सेल्स धर्मशाला	41060	स्मृति चिन्ह	यथोपरि
12	12/17	मै० सुरेन्द्र सिंह बैंस	11115	फिक्सिंग ऑफ़ m.s ग्रिल	यथोपरि

		धर्मशाला			
29	12/17	सुपरिडेंट जेल धर्मशाला	59964	1150 डेस्क व 25 बेंच मुरम्मत	यथोपरि
1	02/15	मै० सनटेक सिस्टम धर्मशाला	86433	फोटो स्टेट मशीन	पुस्तकालय निधि
		कुल जोड़	**334962**		

17 ₹1.00 लाख के क्रय स्मृति चिन्हों की वितरण सूची उपलब्ध न करवाने बारे:-

जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ₹100382 के ख़रीदे गए 641 स्मृति चिन्हों की वितरण सूचि को अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में स्मृति चिन्हों के वितरण व बकाया की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्धारा नहीं की जा सकी। अत: वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

वा.सं0	**माह**	**फर्म का नाम**	**राशि**	**स्मृति चिन्हों की संख्या**	**निधि का नाम**
25 से 31	03/14	मै० क्रिएशन शामनगर	44415	253	मिश्रित निधि
57	03/14	यथोपरि	11907	63	मिश्रित निधि
43	03/14	मै० जे.के.स्टेशनर	3000	25	जुर्माना निधि
9 से 16	09/16	मै० सीटी सेल्स धर्मशाला	41060	300	खेल निधि
		कुल जोड़	**100382**	**641**	

18 स्मृति चिन्हों की खरीद में पाई गई निविदा सम्बन्धी अनियमितताएं:-

वाउचर सं 25 माह 03/14 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० क्रिएशन शामनगर से उनके बिल सं 641 दिनांक 17-02-13 द्वारा ₹13503/- के स्मृति चिन्ह CSCA समारोह हेतु मिश्रित निधि से ख़रीदे। निविदा आमन्त्रण पत्र की शर्त 8 के अनुसार निविदाएँ दिनांक 09-02-13 तक महाविद्यालय कार्यालय में पहुंचनी आवश्यक थी परन्तु सभी फर्मों द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार निविदाओं को कार्यालय में प्रस्तुत किया :-

क्रम सं	**फर्म का नाम**	**फर्म द्वारा निविदा पर अंकित दिनांक**	**महाविद्यालय कार्यालय द्वारा निविदा को डायरी करने की संख्या व दिनांक**	
1.	मै० क्रिएशन शामनगर	11-02-13	3236	06-02-13
2.	मै० प्रीती स्पोर्ट्स धर्मशाला	11-02-13	3238	06-02-13
3.	मै० इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस धर्मशाला	11-02-13	3250	06-02-13

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी निविदा आमंत्रित करने की निर्धारित तय तिथि के बाद प्राप्त हुई व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुचित रूप से पहले की दिनांक में डायरी किया गया। ऑडिट को ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाओं को पूल किया गया व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी एक फर्म को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया। अत:अनुचित रूप से निविदाओं को आमंत्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के विशेष ध्यान में इस आशय में लाया जाता है कि इस मामले की जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये।

19 औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना स्मृति चिन्हों की अनियमित खरीद:-

एच०पी०एफ०आर०2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद कुटेशन के आधार पर की जानी थी ताकि बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके। परन्तु निम्नलिखित स्मृति चिन्हों की खरीद निविदाएँ आमंत्रित किये बिना की गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

निधि का नाम	वा. स०	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
खेल निधि	9	09/16	मै०सीटी सेल्स शिमला	मेमेंन्टो	17850
यथोपरि	10	09/16	---यथोपरि-----	मेमेंन्टो	5250
यथोपरि	11	09/16	---यथोपरि-----	मेमेंन्टो	3675
यथोपरि	13	09/16	---यथोपरि-----	मेमेंन्टो	4200
यथोपरि	16	09/16	---यथोपरि-----	मेमेंन्टो	5040

20 क्रय सामान की आवश्यक स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 135 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है परन्तु जाँच में पाया गया कि विभिन्न निधियों से निम्न लिखित सामान ख़रीदा गया परन्तु ख़रीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आभाव में अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: स्टॉक प्रविष्टियों को न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा क्रय सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक

रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जाए अन्यथा इस खरीद हेतु भुगतान की गई ₹62037 की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	**वा. स०**	**माह**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि**
मिश्रित निधि	43	03/14	मै० जे.के. स्टेशनरी धर्मशाला	25 मेमेंन्टो	3000
यथोपरि	57	03/14	मै० क्रिएशनस शामनगर	63 मेमेंन्टो	11907
खेल निधि	9	09/16	मै०सीटी सेल्स शिमला	58 मेमेंन्टो	17850
यथोपरि	10	09/16	---यथोपरि-----	25 मेमेंन्टो	5250
यथोपरि	11	09/16	---यथोपरि-----	7 मेमेंन्टो	3675
यथोपरि	13	09/16	---यथोपरि-----	10 मेमेंन्टो	4200
यथोपरि	16	09/16	---यथोपरि-----	16 मेमेंन्टो	5040
यथोपरि	12	12/17	श्री सुरेन्द्र सिंह बैंस	ग्रिल	11115
				कुल जोड़	**₹62037**

21 डेस्क व बैंचों की मुरम्मत से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे:-

वाउचर संख्या 29 माह 12/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹59964 का भुगतान अधीक्षक जेल धर्मशाला को 1150 डेस्क व 25 बेंच की मुरम्मत के लिए किया गया है । अंकेक्षण द्वारा इन डेस्क व बेंच की स्टॉक रजिस्टर की जाँच करनी चाही ताकि उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराया जा सके परन्तु स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में किए गए मुरम्मत कार्य की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

22 अग्रिम ₹0.69 लाख से सम्बन्धित समायोजित वाउचरों का प्रस्तुत न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि विद्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार दी गई अग्रिम ₹68500 से सम्बन्धित समायोजन वाउचर आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये।

वाउचर सं	माह	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	राशि	निधि का नाम
3 ए	12/17	श्री नरेश मनकोटिया	68500	खेल निधि

हि.प्र. वित्त नियम 2009 की धारा 189(3) के अनुसार अग्रिम राशि के जारी की तिथि से 15 दिनों के भीतर समायोजित वाउचर व शेष राशि को जमा करवाना अपेक्षित था जबकि उक्त अग्रिम राशि को जारी किए 5 महीने से अधिक का समय हो चूका है। जो की अतिगंभीर मामला है, जोकि उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है। अत: उक्त ₹68500 से सम्बन्धित समायोजन वाउचरो को प्राप्त किया जाए तथा इन समायोजन वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा समायोजन वाउचरों की अनुपस्थिति में अग्रिम के रूप में दी गई उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 अखबार/पत्रिका रददी की नीलामी न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पुस्तकालय निधि से 8 प्रकार की अखबारों व 27 प्रकार की मैगजीन की खरीद नियमित रूप से की गई है परन्तु अखवार रददी की नीलामी 03/15 के बाद नहीं की गई है जो गम्भीर मामला है। अत: अखबार रददी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व रददी की नीलामी अति शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को मिश्रित निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

24 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी नहीं करवाई गई जबकि हिमांचल प्रदेश वित नियम 2009 की धारा 140 के अनुसार स्टॉक में पडे सामान की वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अत: नियमो की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्य में वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25 लघु- आपत्ति विवरणिका:- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

26 निष्कर्ष: - लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः 11 (2)/207–वित्त (ले0प0) खण्ड–10–8245–8247 दिनांक 17.12.18 शिमला–09
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत **1.** प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला, तहसील व जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

3. अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (iv)**

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 6/56

1	पैरा–8	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/56 से 5/58

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 6/58 से 6/59

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत

(घ) सहायक परीक्षक का दिनाँक 25.08.1961 का निरीक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा–1 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–1 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा–1 (16)	अनिर्णीत
4	पैरा–1 (20)	अनिर्णीत
5	पैरा–1 (21)	अनिर्णीत

(ड) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/59 से 2/62

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत

9	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–10	अनिर्णीत

(च) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/62 से 9/69

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (1, 2)	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (ए) (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ए) (7)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (ए) (8)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (ए) (9)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (डी) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (डी) (2) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (डी) (3, 4)	अनिर्णीत
12	पैरा–7	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (2, 3)	अनिर्णीत
14	पैरा–9	अनिर्णीत
15	पैरा–11	अनिर्णीत
16	पैरा–12	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत

18	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत

(छ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 10/69 से 6/73

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (1, 2)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (ए) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (डी) (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (बी) (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (सी) (डी)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (ई से एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (एम)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (पी) (4)	अनिर्णीत
18	पैरा– 9 (क्यू) (3 से 5)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (एस से टी)	अनिर्णीत

20	पैरा–10 (ए से बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (1 से 3)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (बी, सी)	अनिर्णीत
24	पैरा–12 (ए,बी, सी, डी)	अनिर्णीत
25	पैरा–13 (ए, बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (ए,बी)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (ए, सी, एफ)	अनिर्णीत
28	पैरा–16 (ए,सी)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (डी) (4)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (डी)	अनिर्णीत
31	पैरा–7 (जी) (2)	अनिर्णीत
32	पैरा–7 (एच)	अनिर्णीत
33	पैरा–7 (एच) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–8	अनिर्णीत
35	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (2 से 7)	अनिर्णीत
38	पैरा–10 (ए, ई)	अनिर्णीत
39	पैरा–11	अनिर्णीत
40	पैरा–12	अनिर्णीत

41	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
42	पैरा—13 (सी) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा—13 (सी) (2, 3)	अनिर्णीत
44	पैरा—14 (ए से ई)	अनिर्णीत
45	पैरा—15 (1 व 2)	अनिर्णीत
46	पैरा—16	अनिर्णीत
47	पैरा—16़ (4)	अनिर्णीत

(ज) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/73 से 2/76

1	पैरा—5 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ए, सी)	अनिर्णीत
3	पैरा—17	अनिर्णीत
4	पैरा—18	अनिर्णीत
5	पैरा—19 (ए से सी)	अनिर्णीत
6	पैरा—19 (ई)	अनिर्णीत

(झ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81

1	पैरा—4 (ए, बी,डी)	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6	अनिर्णीत
4	पैरा—7 (ए, सी,डी)	अनिर्णीत
5	पैरा—8 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा—9	अनिर्णीत

7	पैरा–10 (ए से ई)	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (ए से डी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14	अनिर्णीत
12	पैरा–15	अनिर्णीत
13	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत
15	पैरा–19 (सी व डी)	अनिर्णीत
16	पैरा–20	अनिर्णीत
17	पैरा–21 (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा–22 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–23 (ए से सी)	अनिर्णीत
20	पैरा–24 से 27	अनिर्णीत
21	पैरा–28 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
22	पैरा–29	अनिर्णीत
23	पैरा–31 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
24	पैरा–3 (1 से 2)	अनिर्णीत

(ञ) छात्र सहायता निधि का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/73 से 2/76

1	पैरा–21 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–22	अनिर्णीत

3	पैरा–23	अनिर्णीत

(ट) सायंकालीन महाविद्यालय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(ठ) छात्र सहायता निधि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81

1	पैरा–3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत

(ड) श्री बी0एल0 थापर, सहायक परीक्षक का 27.6.83 का निरीक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत

(ढ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/89

1	पैरा–5 (1 व 2)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1 व 3)	अनिर्णीत
3.	पैरा -7	अनिर्णीत
4.	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
5.	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
6.	पैरा 9(3)(ए व बी)	अनिर्णीत
7.	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(5)(क,ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 9(6)	अनिर्णीत
10.	पैरा 9(7)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9(8)	अनिर्णीत
12.	पैरा 9 (9 से 17)	अनिर्णीत

13.	पैरा 10(1,2)	अनिर्णीत
14.	पैरा 11	अनिर्णीत
15.	पैरा 12	अनिर्णीत
16.	पैरा 13(1,2)	अनिर्णीत
17.	पैरा 14	अनिर्णीत
18	पैरा 15	अनिर्णीत
19.	पैरा 16 (1 से 4)	अनिर्णीत
20.	पैरा 17 (1 से 5)	अनिर्णीत
21	पैरा 18	अनिर्णीत
22	पैरा 19 (1 से 4)	अनिर्णीत
23	पैरा 20 (1 से 6)	अनिर्णीत

(ण) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/92 :-

1.	पैरा -6	निर्णित	₹4168/- की वसूली रसीद सं 023215दिनांक 4-05-18 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा -7	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
3.	पैरा -8	निर्णित	₹345/- की वसूली रसीद सं 023214 दिनांक 4-05-18 द्वारा कर ली गई है
4.	पैरा -13	निर्णित	स्पष्टीकरण अनुसार।
5.	पैरा -14	अनिर्णीत	
6.	पैरा -18	अनिर्णीत	
7.	पैरा 19 (क,घ,ड)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 22 (ख,ग,ड)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 23 (क)(1)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 23 (ख,ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 24 (क, ख)	अनिर्णीत	

12	पैरा 26 (1 से 4)	अनिर्णीत	
13	पैरा 34 (ड, च)	अनिर्णीत	
14	पैरा 36 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा 37 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	

(त) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/98

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	अनिर्णीत	
4	पैरा 13	अनिर्णीत	
5	पैरा 15	अनिर्णीत	
6	पैरा 16	आंशिक निर्णीत	24151, 24235, 24160, 7/92, 169159, 10197301, 3/93 213490, 202001, 212151, 3/94, 212300, 144801, 3/95 उपरोक्त की जाँच की जानी शेष है।
7	पैरा 17	अनिर्णीत	
8	पैरा 19	अनिर्णीत	
9	पैरा 20	अनिर्णीत	
10	पैरा 21	अनिर्णीत	
11	पैरा 22	अनिर्णीत	
12	पैरा 23	अनिर्णीत	
13	पैरा 25	अनिर्णीत	
14	पैरा 26	अनिर्णीत	
15	पैरा 27	अनिर्णीत	

(थ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 2/2001

1	पैरा 4 (क, ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4 (ग) (1 ये 5)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11 (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11 (छ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 15 (क, ग, घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 17 (क)	आंशिक निर्णीत	(क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कलैण्डर के नियम 42 के अन्तर्गत क्रमांक 3, 5 से 8, 10, 16, 19 तथा 22 में अंकित व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार बनता है। अतः इन क्रमांकों से सम्बन्धित ऑडिट पैरों को समाप्त किया जाता है। 1, 2, 4, 9, 11 से 15, 17, 18, 20, 21 में वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से शीघ्र नियमित करवाया जाए अन्यथा दोषी व्यक्ति से उक्त अनियमित व्ययों की वसूली की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।)
14	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	

17	पैरा 18 (च)	अनिर्णीत	
18	पैरा 21	अनिर्णीत	
19	पैरा 24	अनिर्णीत	
20	पैरा 26	अनिर्णीत	

(द) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/2001 से 3/2003

1	पैरा 8	अनिर्णीत	
2	पैरा 19	निर्णीत	(रसीदें देख ली गई है)

(ध) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2006

1.	पैरा -11	अनिर्णित	
2.	पैरा -14(ख)	अनिर्णीत	
3.	पैरा -16 (क,ख)	निर्णीत	स्पष्टीकरण अनुसार।

(न) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 3/2010 :-

1.	पैरा -5	अनिर्णित	
2.	पैरा -6	अनिर्णीत	
3.	पैरा -13 (ख)	निर्णीत	₹18920 दिनांक 5-05-18 को फर्नीचर मुरम्मत निधि में हस्तात्रित कर ली गई है।
4.	पैरा-14 (i)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत	
6.	पैरा -15	निर्णित	₹547/- की वसूली रसीद सं 023210 दिनांक 3-05-18 द्वारा कर ली गई है।
7.	पैरा -16(i)	अनिर्णीत	
8.	पैरा-16 (ii)	अनिर्णीत	
9.	पैरा-16 (iii)	अनिर्णीत	

10.	पैरा-16 (iv)	अनिर्णीत	
11.	पैरा-17	निर्णित	₹850/- की वसूली रसीद सं 023216 दिनांक 4-05-18 द्वारा कर ली गई है।
12.	पैरा-18	अनिर्णीत	₹1310/- की वसूली रसीद सं 023217 दिनांक 4-05-18 द्वारा कर ली गई है।
13.	पैरा-19	अनिर्णीत	
14.	पैरा -20(i)	निर्णित	₹1414/- की वसूली रसीद सं 023211 दिनांक 3-05-18 द्वारा कर ली गई।
15.	पैरा -20(ii)	निर्णित	स्पष्टीकरण अनुसार।
16.	पैरा -21(i)	अनिर्णित	
17.	पैरा -21(ii)	अनिर्णित	
18.	पैरा -21(iii)	अनिर्णित	
19.	पैरा -21(iv)	अनिर्णित	
20.	पैरा -22 (i)	अनिर्णित	
21.	पैरा -22(ii)	निर्णित	₹847/- की वसूली रसीद सं 023212 दिनांक 03-05-18 द्वारा कर ली गई है।
22.	पैरा -23	अनिर्णित	
23.	पैरा -25	निर्णित	₹145519/- की वसूली रसीद सं 023212 दिनांक 03-05-18 द्वारा कर ली गई है।
24.	पैरा-26	निर्णीत	स्पष्टीकरण अनुसार।
25	पैरा -27	अनिर्णीत	

(प) गत अंकेक्षण आपत्ति विवरणिकाएंः–

गत अंकेक्षण आपत्ति विवरणिकाओं में सम्मिलित आपत्तियों की अनिर्णीत मदें निम्न प्रकार से हैः–

	अवधि	मद संख्या
1	7/55 से 8/56	5, 10 (आंशिक), 15, 24 व 27

2	7/56 से 6/57	1 व 2 (आंशिक), 3 व 4 (आंशिक), 10, 16, 17
3	7/57 से 5/58	9, 10, 11, 13, 20 व 21 (13 से 18, 20, 22, 24, 25, 26 से 30)
4	6/58 से 6/59	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंशिक (12) आंशिक
5	7/59 से 6/60	अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
6	7/60 से 2/62	अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7	3/62 से 9/69	1 से 43, 45 से 48, 51, 54 से 61, 63 (2, 4 व 5) 64, 67 (आशिक) 68 से 70, 72, 73, 74 (जी, एच), 75 (7, 8, 9, 11, 12 व 14) तथा 76 से 168
8	10/69 से 6/73	3, 4, 13, 14, 16, 18, 24 से 29, 31 से 36, 42, 44, 47 से 56, 61 (2) 62 (4), 65 से 73, 74 (4), 79, 80 से 90, 91 (4) (2), 92, 94, 96 से 101
9	7/73 से 2/76	3, 4, 10, 11, 14, 15, 16 (2), 17, 22, 24 (बी), 24 (डी), 26 (बी), 26 (डी), 27 (आंशिक), 28, 29 (आंशिक), 30, 31 (आंशिक)

(फ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 :-

1.	पैरा-5 (ख)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है ।
2.	पैरा-5 (ग)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
3.	पैरा-6	निर्णित	₹700/- की वसूली रसीद सं 023203 दिनांक 01-05-18 द्वारा कर ली गई है।
4.	पैरा-7	निर्णित	चालान सं 116 दिनांक15-05-18 द्वारा जमा कर दिए गये है।
5.	पैरा- 8	निर्णित	₹574/- की वसूली रसीद सं 023204 दिनांक 01-05-18 द्वारा कर ली गई है।
6	पैरा -9(क)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।

7	पैरा -9(ख)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
8	पैरा-10	निर्णित	दैनिक उपयोग रजिस्टर पृष्ट 182 से 331 अनुसार।
9	पैरा -11	निर्णित	₹298/- की वसूली रसीद सं 023205 दिनांक 01-05-18 द्वारा कर ली गई है।
10	पैरा -12	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
11	पैरा-13(क)	निर्णित	₹5800/- की वसूली रसीद सं 023206 दिनांक 01-05-18 द्वारा कर ली गई है
12	पैरा-13(ख)	निर्णित	₹1200/- की वसूली रसीद सं 023207 दिनांक 01-05-18 द्वारा कर ली गई है
13	पैरा-13(ग)	निर्णित	₹758/- की वसूली रसीद सं 023208 दिनांक 02-05-18 द्वारा कर ली गई है
14	पैरा-14	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
15	पैरा-15	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
16	पैरा-16	अनिर्णीत	
17	पैरा-17	अनिर्णीत	
18	पैरा-18	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
19	पैरा-19	निर्णित	₹4700/- की वसूली रसीद सं 023209 दिनांक 02-05-18 द्वारा कर ली गई है
20	पैरा-20	निर्णित	सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ सं 23 पर स्टॉक प्रविष्टि कर दी गई है।
21	पैरा-21	अनिर्णीत	
22	पैरा-22	अनिर्णीत	

23 पैरा-23 अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

अन्तशेष	251
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	22
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णित किए गए पैरे	32
अन्तशेष	237